न्यायालय–विशेष न्यायाधीश(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), संत कबीर नगर।

UPSK010015052021

वारण्ट एवं समन/परिवाद संख्या–47/2021

यशोदा देवी बनाम प्रभात सिंह आदि

01.10.2022

पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में तलबी के प्रश्न पर सुना जा चुका है।

प्रार्थिनी यशोदा देवी की ओर से यह कथन किया गया है कि वह दरूआजम़ी माफी, थाना को० खलीलाबाद की रहने वाली है, तथा अनुसूचित जाति की महिला है। परिवादिनी दिनांक 24.05.2021 को नाती विपिन कुमार व विवेक कुमार के साथ तितौवा स्थित अपने मकान पर जा रही थी, उसी समय गांव में बारात की विदाई हो रही थी। जिससे सड़क पूरी तरह जाम हो गयी थी। भीड़ की वजह से हम लोग खेत की मेड़ पकड़ कर आगे जा रहे थे, उसी रास्ते में एक आदमी नाम पता अज्ञात ताड़ के पेड़ से ताड़ी उतार रहा था, मौके पर वह पुलिस व दरोगा को देखकर भाग गया। उसी समय शाम लगभग 6:30 बजे अभियुक्तगण दरोगा प्रभात सिंह व एक सिपाही सन्तोष यादव मेरे नाती विपिन व विवेक से कहे कि यह ताड़ी मेरी गाड़ी के पास ले जाकर पहुंचा दो, इन्कार करने पर हम लोग इसका विरोध किये तो अभियुक्तगण मुझे तथा दोनों नाती को जाति सूचक मां, बहन, साली हरामी की गालियां दिये व थप्पड़–थप्पड़ से मारे। गाली देने से मना करने पर हम लोगों के जान, माल की धमकी भी दिये और यह भी कहे कि तुम लोगों पर मुकदमा कर देगे, तब पता चलेगा। इसके पश्चात अभियुक्तगण मेरे नाती विपिन व विवेक को जबरदस्ती कोतवाली ले गये और रास्ते में विपिन कुमार की जेब में रखा बीस हजार रूपया नकद अभियुक्तगण छीन लिये। मेरे नाती विपिन व विवेक को कोतवाली में ले जाकर बैठाये और वहां भी मारे पीटे और इन लोगों को गलत तरीके से वही ताड़ी दिखाकर नामजद कर दिया गया जबकि मेरा नाती विपिन कुमार नोएडा में रहकर बी०टेक तथा विवेक कुमार सिद्धार्थ नगर में बी०फार्मा का कोर्स कर रहा है। परिवादिनी घटना के बाद को० खलीलाबाद गयी, लेकिन वहां पुलिस के खिलाफ मामला होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई, तब परिवादिनी पूरे घटना की लिखित सूचना दिनांक 08.06.2021 को रजिस्टर्ड डाक से पुलिस अधीक्षक, संत कबीर नगर को दी, इसके बाबजूद आज तक रपट नहीं दर्ज हुई। चूंकि परिवाद पुलिस के विरूद्ध है, इस कारण अब विला देरी के इश्तगासा दाखिल कर रही है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादिनी द्वारा धारा–200 द०प्र०सं० के बयान में स्वयं को तथा धारा–202 द०प्र०सं० के बयान में अपने नाती विपिन कुमार व विवेक कुमार को परीक्षित कराया गया है, किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। विपक्षी लोक सेवक है और कोई अभियोजन स्वीकृति नहीं ली गयी है। धारा 197 द०प्र०सं० पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किये गये कार्य के लिए लोक सेवकों को संरक्षण प्रदान करती है। परिवादिनी ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा है कि गांव में बारात की विदाई हो रही थी, जिससे सड़क पूरी जाम हो गयी परन्तु परिवादिनी द्वारा किसी साक्षी के नाम का उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है। परिवादिनी द्वारा अपने नाती विपिन कुमार से बीस हजार रूपया नकद छीने जाने का कथन किया है, किन्तु बीस हजार रूपया के बावत पत्रावली पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवाद पत्र से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र कानूनी राय मशविरा के आधार पर विद्वेष पूर्ण आशय से बढ़ा चढ़ाकर काल्पनिक आधारों पर दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी निर्णयज विधि

एम०एन० ओझा व अन्य बनाम आलोक कुमार श्रीवास्तव 2009(2) जे०सी०आर०सी०–1209 तथा मेसर्स पेप्सी फूडस लि० और अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट व चार अन्य, 1998(5) SCC 749 में यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि आपराधिक विधि में किसी भी व्यक्ति को आहूत किया जाना बहुत ही गंभीर मामला है और दाण्डिक प्रकरणों को किसी व्यक्ति के विरूद्ध संचालित करना सामान्य अनुक्रम की विषय वस्तु नहीं है –"Summoning of an accused in a criminal case is a serious matter. Criminal Law cannot be set into motion as a matter of course. It is not that the complainant has to bring only two witnesses to support his allegations in the complaint to have the criminal law set into motion. The order of the magistrate summoning the accused must reflect that he has applied his mind to the facts of the case and the law applicable thereto. He has to examine the nature of allegations made in the complaint and the evidence both oral and documentary in support thereof and would that be sufficient for the complainant to succeed in bringing charge home to the accused. It is not that the Magistrate is a silent spectator at the time of recording of preliminary evidence before summoning of the accused. Magistrate has to carefully scrutinise the evidence brought on record and may even himself put questions to the complainant and his witnesses to elicit answers to find out the truthfulness of the allegations or otherwise and then examine if any offence is prima facie committed by all or any of the accused."

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपनी अद्यतन निर्णयज विधि **दिलीप कुमार मिश्रा बनाम उ०प्र०राज्य 2013(80) ACC 870** में यह अवधारित किया है कि द०प्र०सं० के अध्याय–25 में दी गई आरम्भिक जांच का आशय सतही तौर पर मामले को देखने का नहीं है। दाण्डिक प्रकरण में अभियुक्त को विचारण के लिए आहूत किया जाना एक गंभीर मामला है और सामान्य अनुक्रम में किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध दाण्डिक विधि को सरसरी तौर पर परिचालित नहीं किया जाना चाहिए।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने प्रार्थना पत्र संख्या **12864/2021 अन्तर्गत धारा 482 द०प्र०सं०– सोनी देवी बनाम उ०प्र० राज्य व 10 अन्य,** में यह अभिनिर्धारित किया है कि विशेष न्यायाधीश अन्तर्गत धारा 156(3)द०प्र०सं० के प्रार्थना पत्र को संशोधित अधिनियम के नियम 5(1) के अन्तर्गत परिवाद के रूप में व्यवहृत नहीं कर सकते।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विवेचनोपरान्त विपक्षीगण को प्रथम–दृष्टया धारा–203 द०प्र०सं० के अन्तर्गत तलब करने का आधार पर्याप्त नहीं पाया जाता है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद, अन्तर्गत धारा–203 द०प्र०सं० के तहत आधार पर्याप्त न होने के कारण, निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(दिनेश प्रताप सिंह)
J.O. Code– UP1531
विशेष न्यायाधीश(एस०सी०/एस०टी० एक्ट),
संत कबीर नगर।

दिनांक 01.10.2022

Digitally signed by DINESH PRATAP SINGH
Date: 2022.10.01 14:39:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court